

आदेश संख्या /

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

११

/अनिवार्य स्थानान्तरण/ 2015-16 दिनांक 06.07.2015

अनिवार्य स्थानान्तरण (X से Y श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014 (चतुर्थ संशोधन) में निर्दिष्ट प्राविधानों के तहत बागेश्वर जनपद के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की विभाग (शिक्षा निदेशालय) द्वारा नैट से प्राप्त सूची के आधार पर न्यूनतम 12 गुणांक वाले अध्यापकों की पात्रता सूची के अनुरूप X क्षेत्र से Y क्षेत्र में स.अ. रा.प्रा.वि. वेतन वैण्ड 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/- में निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनकम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं०	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण	
			कहाँ से	कहाँ को
1	श्रीमती ममता चौधरी	स.अ.	रा.प्रा.वि., बिलौना नवीन	रा.प्रा.वि. कफौली, कपकोट

(हीरा लाल गौतम)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./बेसिक/ 1826-35

प्रतिलिपि –

/अनि.स्थानान्तरण / 2015-16 दिनांक उक्तव्य

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।

02 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

03 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

04 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।

05 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, कपकोट एवं गरुड़।

06 उप शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर एवं कपकोट को इस आशय से कि वे सम्बन्धित शिक्षकों को स्थानान्तरित विद्यालय में एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, ऐसे स्थानान्तरित शिक्षकों के माह जुलाई, 2015 का वेतन नवीन तैनाती वाले विद्यालय से ही आहरित होगा, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के स्थानान्तरण से यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा हो तो ऐसी दशा में सम्बन्धित शिक्षक को तभी कार्यमुक्त किया जाय, जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाय।

07 सम्बन्धित शिक्षकों को इस आशय से कि वे नवीन तैनाती वाले विद्यालय में 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपत्ति/प्रत्यावेदन स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुए अपने नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर पुष्ट साक्ष्यों सहित मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को किया जा सकता है।

08 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)

आदेश संख्या /

101

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

/अनिवार्य स्थानान्तरण / 2015-16 दिनांक 06.07.2015

अनिवार्य स्थानान्तरण (X से Y श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014 (चतुर्थ संशोधन) में निर्दिष्ट प्राविधानों के तहत बागेश्वर जनपद के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.वि.विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की विभाग (शिक्षा निदेशलय) द्वारा नैट से प्राप्त सूची के आधार पर न्यूनतम 12 गुणांक वाले अध्यापकों की पात्रता सूची के अनुरूप X क्षेत्र से Y क्षेत्र में प्र.अ. रा.प्रा.वि. वेतन वैष्ण 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/- में निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं०	अध्यापक का नाम	पदनाम	स्थानान्तरण	
			कहाँ से	कहाँ को
01	श्रीमती नीता अल्मियॉ	प्र.अ.	रा.प्रा.वि. पुरड़ा	रा.प्रा.वि. पिंगलो
02	श्री हेमन्त कुमार वर्मा	प्र.अ.	रा.प्रा.वि. जिनखोला	रा.प्रा.वि. खुलदौड़ी
03	श्रीमती फिरदौस परवीन	प्र.अ.	रा.प्रा.वि. लौबॉज	रा.प्रा.वि. बद्रीनाथ

(हीरा लाल गौतम)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./बेसिक / १८४०-१८५४

/अनि.स्थानान्तरण / 2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि -

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।

02 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

03 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

04 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।

05 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, कपकोट एवं गरुड़।

06 उप शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट को इस आशय से कि वे सम्बन्धित शिक्षकों को स्थानान्तरित विद्यालय में एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, ऐसे स्थानान्तरित शिक्षकों के माह जुलाई, 2015 का वेतन नवीन तैनाती वाले विद्यालय से ही आहरित होगा, साथ ही यह शिक्षकों के अवगत कराना है कि अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के स्थानान्तरण भी यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा हो तो ऐसी दशा में सम्बन्धित शिक्षक को तभी कार्यमुक्त किया जाय, जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाय।

07 सम्बन्धित शिक्षकों को इस आशय से कि वे नवीन तैनाती वाले विद्यालय में 01 सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपत्ति/प्रत्यावेदन कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपत्ति/प्रत्यावेदन कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुए अपने नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर पुष्ट साक्ष्यों सहित मण्डलीय अपर स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर पुष्ट साक्ष्यों सहित मण्डलीय अपर स्थानान्तरण आदेश का पत्रावली।

08 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

अनिवार्य स्थानान्तरण (Y से X श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014 (चतुर्थ संशोधन) में निर्दिष्ट प्राविधानों के तहत बागेश्वर जनपद के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की विभाग (शिक्षा निदेशलय) द्वारा नैट से प्राप्त सूची के आधार पर न्यूनतम 12 गुणांक वाले अध्यापकों की पात्रता सूची के अनुरूप Y क्षेत्र से X क्षेत्र में प्र.अ. रा.प्रा.वि. वेतन वैष्ण 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/- में निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं	अध्यापक का नाम	पदनाम	स्थानान्तरण	
			कहाँ से	कहाँ को
01	श्री मंगल राम	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., जगथाना	रा.प्रा.वि., हरसीला
02	श्री फकीरा दत्त जोशी	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., लुटई	रा.प्रा.वि., कपकोट
03	श्री शेर सिंह	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., रुडियापानी	रा.प्रा.वि., फरसाली पल्ली
04	श्री पूरन चन्द्र जोशी	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., तल्लाखोला कर्मी	रा.प्रा.वि., घिघारूतोला
05	श्री बसन्ती गढ़िया	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., वचीगाँव	रा.प्रा.वि., सिमार
06	श्री भूपाल सिंह मेहता	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., खुलदौड़ी	रा.प्रा.वि., पन्तकवैराली
07	श्री खीम सिंह रावत	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., सिया	रा.प्रा.वि., भनारतोली
08	श्री शिब सिंह पिलख्वाल	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., दफौट	रा.प्रा.वि., ढुकुरा
09	श्री उर्वा दत्त पाठक	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., पाख्यू	रा.प्रा.वि., बसकुना
10	श्रीमती दुर्गा नगरकोटी	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., किमोली	रा.प्रा.वि., भिताड़ी
11	श्रीमती कमला माजिला	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., मन्तोली	रा.प्रा.वि., घटगाड
12	श्रीमती विमला कालाकोटी	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., खोलीगाँव	रा.प्रा.वि., बोहाला

(हीरा लाल गौतम)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।


पृ.सं./बेसिक/ 1859-1869

/अनि.स्थानान्तरण / 2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि –

- 01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
- 02 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 03 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 04 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
- 05 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, कपकोट एवं गरुड़।
- 06 उप शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट को इस आशय से कि वे सम्बन्धित शिक्षकों को स्थानान्तरित विद्यालय में एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, ऐसे स्थानान्तरित शिक्षकों के माह जुलाई, 2015 का वेतन नवीन तैनाती वाले विद्यालय से ही आहरित होगा, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के स्थानान्तरण से यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा हो तो ऐसी दशा में सम्बन्धित शिक्षक को तभी कार्यमुक्त किया जाय, जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाय।
- 07 सम्बन्धित शिक्षकों को इस आशय से कि वे नवीन तैनाती वाले विद्यालय में 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपत्ति/प्रत्यावेदन स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुए अपने नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर पुष्ट साक्ष्यों सहित मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को किया जा सकता है।
- 08 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या /

103

/अनिवार्य स्थानान्तरण /2015-16 दिनांक 06.07.2015

अनिवार्य स्थानान्तरण (X से Y श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014(चतुर्थ संशोधन) में निर्दिष्ट प्राविधानों के तहत बागेश्वर जनपद के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की विभाग (शिक्षा निदेशलय) द्वारा नैट से प्राप्त सूची के आधार पर न्यूनतम 12 गुणांक वाले अध्यापकों की पात्रता सूची के अनुरूप X क्षेत्र से Y क्षेत्र में स.अ. रा.उ.प्रा.वि. वेतन वैष्ण 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/- में निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनकम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं०	अध्यापक का नाम	पदनाम	स्थानान्तरण	
			कहाँ से	कहाँ को
01	श्रीमती विमला पन्त	स.अ., विज्ञान / गणित	रा.उ.प्रा.वि., अमसरकोट	रा.उ.प्रा.वि., खन्तोली
02	श्रीमती निर्मला बोरा	स.अ., विज्ञान / गणित	रा.उ.प्रा.वि., माल्दे	रा.उ.प्रा.वि., रैतोली
03	श्रीमती दीपा जोशी	स.अ., विज्ञान / गणित	रा.उ.प्रा.वि., पौड़ीधार	रा.उ.प्रा.वि., खबड़ोली
04	श्रीमती आशा विष्ट	स.अ., विज्ञान / गणित	रा.उ.प्रा.वि., गाडगाँव	रा.उ.प्रा.वि., पंचौड़ा
05	श्रीमती बीना चौधरी	स.अ., हिन्दी	रा.उ.प्रा.वि., मन्यूड़ा	रा.उ.प्रा.वि., चर्चई
06	श्रीमती गीता आर्या	स.अ., विज्ञान / गणित	रा.उ.प्रा.वि., भतरौला	रा.उ.प्रा.वि., खुलदौड़ी

(हीरा लाल गौतम)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./बेसिक / 1870-80

/अनि.स्थानान्तरण /2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि –

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।

02 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

03 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

04 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।

05 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, कपकोट एवं गरुड़।

06 उप शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट को इस आशय से कि वे सम्बन्धित शिक्षकों को स्थानान्तरित विद्यालय में एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, ऐसे स्थानान्तरित शिक्षकों के माह जुलाई, 2015 का वेतन नवीन तैनाती वाले विद्यालय से ही आहरित होगा, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के स्थानान्तरण से यदि विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो तो ऐसी दशा में सम्बन्धित शिक्षक को तभी कार्यमुक्त किया जाय, जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाय।

07 सम्बन्धित शिक्षकों को इस आशय से कि वे नवीन तैनाती वाले विद्यालय में 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपत्ति/प्रत्यावेदन रथानान्तरण आदेश का पालन करते हुए अपने नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर पुष्ट साक्षों सहित मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को किया जा सकता है।

08 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

26/7/15

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या / 104 / अनिवार्य स्थानान्तरण / 2015-16 दिनांक 06.07.2015

अनिवार्य स्थानान्तरण (Y से X श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014(चतुर्थ संशोधन) में निर्दिष्ट प्राविधानों के तहत बागेश्वर जनपद के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की विभाग (शिक्षा निदेशलय) द्वारा नैट से प्राप्त सूची के आधार पर न्यूनतम 12 गुणोंक वाले अध्यापकों की पात्रता सूची के अनुरूप Y क्षेत्र से X क्षेत्र में स.अ. रा.उ.प्रा.वि. वेतन वैष्ण 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/- में निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनकम में उनके नाम के समुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं०	अध्यापक का नाम	पदनाम	स्थानान्तरण	
			कहाँ से	कहाँ को
01	श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय	स.अ. हिन्दी	रा.उ.प्रा.वि., झॉकरा	रा.उ.प्रा.वि., किडई
02	श्री चन्द्रनाथ गोस्वामी	स.अ. सामान्य	रा.उ.प्रा.वि., लोहागढी	रा.उ.प्रा.वि., बण्ड
03	श्रीमती पुष्पा माजिला	स.अ. सामान्य	रा.उ.प्रा.वि., पंचौड़ा	रा.उ.प्रा.वि., अमसरकोट
04	श्री मंगल राम	स.अ. सामान्य	रा.उ.प्रा.वि., रमाडी	रा.उ.प्रा.वि., गोलना
05	श्री मुरली मनोहर जोशी	स.अ. विज्ञान/गणित	रा.उ.प्रा.वि., महरुडी	रा.उ.प्रा.वि., छाती
06	श्री अशोक कुमार	स.अ. सामान्य	रा.उ.प्रा.वि., महरगाँव	रा.उ.प्रा.वि., हरखोला
07	श्री राजेन्द्र सिंह राठौर	स.अ. विज्ञान/गणित	रा.उ.प्रा.वि., खेतीकिसमिला	रा.उ.प्रा.वि., टिटोली
08	श्री पूरन सिंह नेगी	स.अ. सामान्य	रा.उ.प्रा.वि., रौल्याना	रा.उ.प्रा.वि., छाती
09	श्री प्रताप सिंह	स.अ. विज्ञान/गणित	रा.उ.प्रा.वि., जारती	रा.उ.प्रा.वि., थानडंगोली
10	श्री गोविन्द गिरी गोस्वामी	स.अ. सामान्य	रा.उ.मा.वि., लीली	रा.उ.प्रा.वि., फल्यौटीधार

(हीरा लाल गौतम)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./बेसिक/ 1881-91

/अनि.स्थानान्तरण / 2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि –

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।

02 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

03 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

04 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।

05 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, कपकोट एवं गरुड़।

06 उप शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट को इस आशय से कि वे सम्बन्धित शिक्षकों को स्थानान्तरित विद्यालय में एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, ऐसे स्थानान्तरित शिक्षकों के माह जुलाई, 2015 का वेतन नवीन तैनाती वाले विद्यालय से ही आहरित होगा, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के स्थानान्तरण से यदि विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो तो ऐसी दशा में सम्बन्धित शिक्षक को तभी कार्यमुक्त किया जाय, जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाय।

07 सम्बन्धित शिक्षकों को इस आशय से कि वे नवीन तैनाती वाले विद्यालय में 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपत्ति/प्रत्यावेदन स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुए अपने नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर पुष्ट साक्ष्यों सहित मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को किया जा सकता है।

08 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

1881-91

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या / 105 / अनिवार्य स्थानान्तरण / 2015–16 दिनांक 06.07.2015

अनिवार्य स्थानान्तरण (X से Y श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014(चतुर्थ संशोधन) में निर्दिष्ट प्राविधानों के तहत बागेश्वर जनपद के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की विभाग (शिक्षा निदेशलय) द्वारा नैट से प्राप्त सूची के आधार पर न्यूनतम 12 गुणांक वाले अध्यापकों की पात्रता सूची के अनुरूप X क्षेत्र से Y क्षेत्र में प्र.अ. रा.उ.प्रा.वि. वेतन वैष्ण 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800/- में निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनकम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं०	अध्यापक का नाम	पदनाम	स्थानान्तरण	
			कहाँ से	कहाँ को
01	श्रीमती अनीता वाफिला	प्र.अ.	रा.उ.प्रा.वि., थानडंगाली	रा.उ.प्रा.वि., पय्या

(हीरा लाल गौतम)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./बेसिक/ 1092-1902

/अनि.स्थानान्तरण / 2015–16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि –

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।

02 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

03 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

04 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।

05 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, कपकोट एवं गरुड़।

06 उप शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट को इस आशय से कि वे सम्बन्धित शिक्षकों को स्थानान्तरित विद्यालय में एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, ऐसे स्थानान्तरित शिक्षकों के माह जुलाई, 2015 का वेतन नवीन तैनाती वाले विद्यालय से ही आहरित होगा, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के स्थानान्तरण से यदि विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो तो ऐसी दशा में सम्बन्धित शिक्षक को तभी कार्यमुक्त किया जाय, जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाय।

07 सम्बन्धित शिक्षकों को इस आशय से कि वे नवीन तैनाती वाले विद्यालय में 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपत्ति/प्रत्यावेदन स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुए अपने नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर पुष्ट साक्षों सहित मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को किया जा सकता है।

08 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या / / अनिवार्य स्थानान्तरण / 2015-16 दिनांक 06.07.2015

अनिवार्य स्थानान्तरण (Y से X श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014(चतुर्थ संशोधन) में निर्दिष्ट प्रविधानों के तहत बागेश्वर जनपद के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की विभाग (शिक्षा निदेशलय) द्वारा नैट से प्राप्त सूची के आधार पर न्यूनतम 12 गुणोंक वाले अध्यापकों की पात्रता सूची के अनुरूप Y क्षेत्र से X क्षेत्र में स.अ. रा.प्रा.वि. वेतन वैण्ड 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/- में निम्नांकित अध्यापकों को उरी पद एवं वेतनकम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र.सं.	अध्यापक का नाम	पदनाम	स्थानान्तरण	
			कहाँ से	कहाँ को
01	श्री अशोक कुमार	स.अ.	रा.प्रा.वि., डौला	रा.प्रा.वि., झिरौली
02	श्री नवी आलम	स.अ.	रा.प्रा.वि., दाबू	रा.प्रा.वि., गढ़सेर
03	श्री सूरज मल	स.अ.	रा.प्रा.वि., रातिरकेठी	रा.प्रा.वि., भतरौला
04	श्री मधुसूदन शर्मा	स.अ.	रा.प्रा.वि., बदियाकोट	रा.प्रा.वि., सरना
05	श्री जगेन्द्र सिंह	स.अ.	रा.प्रा.वि., कोटयूडा	रा.प्रा.वि., उर्दूमीडियम
06	श्री रमेश कुमार	स.अ.	रा.प्रा.वि., कीमूलीती	रा.प्रा.वि., बागेश्वर प्रथम
07	श्री आतम सिंह	स.अ.	रा.प्रा.वि., लमचूला	रा.प्रा.वि., नौघर

(हीरा लाल गौतम)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./ वेसिक /

/ अनि.स्थानान्तरण / 2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि –

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।

02 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

03 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

04 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।

05 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, कपकोट एवं गरुड़।

06 उप शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट को इस आशय से कि वे सम्बन्धित शिक्षकों को स्थानान्तरित विद्यालय में एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, ऐसे स्थानान्तरित शिक्षकों के माह जुलाई, 2015 का वेतन नवीन तैनाती वाले विद्यालय से ही आहरित होगा, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के स्थानान्तरण से यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा हो तो ऐसी दशा में सम्बन्धित शिक्षक को तभी कार्यमुक्त किया जाय, जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाय।

07 सम्बन्धित शिक्षकों को इस आशय से कि वे नवीन तैनाती वाले विद्यालय में 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपत्ति/प्रत्यावेदन स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुए अपने नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर पुष्ट साक्षों सहित मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को किया जा सकता है।

08 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)